रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-18082023-248176 CG-MH-E-18082023-248176

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] No. 580] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

## भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुंबई, 16 अगस्त, 2023

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

- सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पिठत धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-
  - 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
  - 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
  - 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,-
    - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
      - i. मौजूदा खंड (धक) अब खंड (धख) बन जाएगा और मौजूदा खंड (धख) अब खंड (धग) बन जाएगा:

5304 GI/2023 (1)

- ii. खंड (ध) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
  - "(धक) "निवेश प्रबंधक की समूह (ग्रुप) एंटिटियों" का अर्थ है -
    - (i) वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति, जिन पर निवेश प्रबंधक नियंत्रण रखता हो;
    - (ii) वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति, जो निवेश प्रबंधक पर नियंत्रण रखते हों;
  - (iii) वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति, जिन पर वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति नियंत्रण रखते हों जिनका जिक्र उप-खंड (ii) में किया गया है।"
- iii. खंड (धकक) में, उप-खंड (ii) में, शब्दों "का संप्रवर्तक" के बाद और शब्दों "न हो या न रहा हो" से पहले, शब्द "अथवा अवसंरचना निवेश न्यास के प्रायोजक समृह का सदस्य" जोड़े जाएँगे;
- iv. खंड (यट) में, शब्द "प्रायोजक" के स्थान पर, शब्द "प्रायोजक समूह" आ जाएँगे;
- v. मौजूदा खंड (यभक) अब खंड (यभख) बन जाएगा;
- vi. खंड (यभ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(यभक) "स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक" (सेल्फ-स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर) का अर्थ है - अवसंरचना निवेश न्यास का वह निवेश प्रबंधक, जो निवेश प्रबंधक और प्रायोजक दोनों की जिम्मेदारियाँ निभा रहा हो।"

vii. खंड (यभख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(यभग) "प्रायोजक समूह (ग्रुप)" में शामिल हैं-

- (i) प्रायोजक
- (ii) वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति, जिन पर ऐसा प्रायोजक नियंत्रण रखता हो:
- (iii) वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति, जो ऐसी निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) पर नियंत्रण रखते हों: या
- (iv) वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति, जिन पर वे एंटिटियाँ या वह (वे) व्यक्ति नियंत्रण रखते हों जिनका जिक्र उप-खंड (iii) में किया गया है ।"
- II. विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, -
  - i. खंड (घ) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "प्रत्येक प्रायोजक" के बाद और शब्दों "के बारे में" से पहले, शब्द "और प्रायोजक समूह" जोड़े जाएँगे;
  - ii. खंड (घ) में, उप-खंड (i) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि प्रत्येक प्रायोजक समूह के मामले में कम से कम एक व्यक्ति को प्रायोजक बताया जाएगा;

परंतु यह और कि जिन एंटिटियों को प्रायोजक समूह की श्रेणी में रखा गया हो, उनमें से केवल निम्नलिखित एंटिटियों को ही प्रायोजक माना जा सकेगा:

- क) वह व्यक्ति या एंटिटी, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसी किन्हीं संपत्तियों आदि (आस्तियों / असेट्स) या एसपीवी या नियंत्री कंपनी (कंपनियों) [होल्डको] में कोई हित या हिस्सेदारी हो, जिन्हें अवसंरचना निवेश न्यास के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव हो;
- ख) वह व्यक्ति या एंटिटी, जिसके पास, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निर्गम (इश्यू) आने के बाद अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) की युनिटें हों;

- ग) वह व्यक्ति या एंटिटी, जिसके अनुभव का लाभ प्रायोजक द्वारा इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) के उप-खंड (iii) में दी हुई पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा हो।"
- iii. खंड (ज) में, -
  - क. सर्वोपरि (नॉन-ऑब्स्टेंट) खंड में, शब्दों "अधिकार होंगे" के बाद दिए हुए चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;
  - ख. मौजूदा सर्वोपरि (नॉन-ऑब्स्टेंट) खंड के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जिस यूनिटधारक (जिन यूनिटधारकों) के पास, या तो अलग-अलग या मिलाकर, अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) की कुल मौजूदा यूनिटों में से कम से कम दस प्रतिशत यूनिटें हों, उन्हें निवेश प्रबंधक के निदेशक मंडल में एक निदेशक को उसी प्रकार नामित करने का हक होगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह और कि इस प्रकार नामित किया गया निदेशक ऐसे किसी भी मामले में मत नहीं डालेगा, जिसमें उसका या उसके किसी सहयोगी (सहयुक्त/असोसिएट) या उसे नामित करने वाले यूनिटधारक या उस यूनिटधारक का सहयोगी भी एक पक्ष (पार्टी) हो:

परंतु यह और कि जिस यूनिटधारक के पास अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) की कुल मौजूदा यूनिटों में से कम से कम दस प्रतिशत यूनिटें हों, उसे इन विनियमों (रेग्यूलेशन) की अनुसूची-VIII में दिए हुए बड़े यूनिटधारकों हेतु सिद्धाँतों (स्टूअर्डिशिप कोड) का पालन करना होगा।"

- III. विनियम 7क हट जाएगा।
- IV. विनियम 12 में,
  - i. शीर्षक में, शब्दों तथा चिह्नों "प्रायोजक (प्रायोजकों)" के बाद, शब्द तथा चिह्न "और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों)" जोड़े जाएँगे;
  - ii. उप-विनियम (1) में, शब्द "प्रायोजक" के बाद, शब्द "और प्रायोजक समूह" जोड़े जाएँगे;
  - iii. उप-विनियम (2) में, शब्द "प्रायोजक" के बाद, शब्द "प्रायोजक समूह" जोड़े जाएँगे, और शब्द तथा चिह्न "प्रायोजक (प्रायोजकों)" के बाद, शब्द तथा चिह्न "और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों)" जोड़े जाएँगे;
  - iv. मौजूदा उप-विनियम (3), उसके तहत दिए गए खंड (i) से (iii) और खंड (iii) के पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-
    - "(3) प्रायोजक (प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों) के पास मिलाकर आरंभिक प्रस्ताव (इनीशियल ऑफर) के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से तीन वर्षों तक, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से कम से कम पंद्रह प्रतिशत यूनिटें हमेशा रहेंगी, बशर्ते की:
      - क) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) के गठन के बारे में अथवा संपत्तियाँ आदि (आस्तियाँ / असेट्स) / नियंत्री कंपनी (होल्डको) / एसपीवी अवसंरचना निवेश न्यास को बेचे जाने या उसके नाम पर किए जाने के बारे में जो कुछ भी किया जाएगा या जो कुछ करना रह जाएगा या जो भी बताया जाएगा या जो भी करार आदि किया जाएगा, उसके लिए प्रायोजक और प्रायोजक समूह जिम्मेदार रहेगा (रहेंगे);
      - ख) अवसंरचना निवेश न्यास या अवसंरचना निवेश न्यास का न्यासी (ट्रस्टी) इस संबंध में कोई उल्लंघन होने पर प्रायोजक (प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों) के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे;

ग) अवसंरचना निवेश न्यास का परियोजना प्रबंधक (प्रोजेक्ट मैनेजर) या तो प्रायोजक होगा या प्रायोजक का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) होगा, और अवसंरचना निवेश न्यास (इनिवट) की यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अविध तक उसकी वही भूमिका बनी रहेगी, जब तक कि उसकी जगह यूनिटधारक न्यासी (ट्रस्टी) के माध्यम से किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त न कर दें: परंतु यह कि इस उप-विनियम के खंड (ग) में दी हुई शर्त वहाँ लागू नहीं होगी, जब प्रायोजक (प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों) के पास मिलाकर, यूनिटों के आरंभिक प्रस्ताव (इनीशियल ऑफर) के बाद, आरंभिक प्रस्ताव (इनीशियल ऑफर) के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से पहले 3 वर्षों की अविध के दौरान, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से कम से कम पच्चीस प्रतिशत यूनिटें हमेशा रहें:

परंतु यह और कि प्रायोजक और प्रायोजक समूह के पास, यथास्थिति, पंद्रह प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा जितनी भी यूनिटें हों, वे आरंभिक प्रस्ताव (इनीशियल ऑफर) के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अविध तक उनके पास रहें:"

- v. उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम और परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्, -
  - "(3क) प्रायोजक (प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों) के पास मिलाकर –
  - (i) आरंभिक प्रस्ताव के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से चौथा वर्ष शुरू होने से लेकर पाँचवे वर्ष के अंत तक, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से पाँच प्रतिशत यूनिटें रहेंगी;
  - (ii) आरंभिक प्रस्ताव के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से छठा वर्ष शुरू होने से लेकर दसवें वर्ष के अंत तक, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से तीन प्रतिशत यूनिटें रहेंगी;
  - (iii) आरंभिक प्रस्ताव के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से ग्यारहवाँ वर्ष शुरू होने से लेकर बीसवें वर्ष के अंत तक, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से दो प्रतिशत यूनिटें रहेंगी;
  - (iv) आरंभिक प्रस्ताव के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से बीसवें वर्ष के पूरा होने के बाद, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से एक प्रतिशत युनिटें रहेंगी:

परंतु यह कि खंड (i) से (iv) के अनुसार प्रायोजक (प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों) के पास जितनी यूनिटें रखने की बात कही गई है, उन यूनिटों का अधिकतम मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपये से या उतने मूल्य से ज्यादा नहीं होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जाए, और वह मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के सबसे हाल के शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के आधार पर निकाला जाएगा:

परंतु यह और कि इस उप-विनियम के खंड (i) से (iv) में जिन अपेक्षाओं का जिक्र है उनका पालन हो रहा है या नहीं, इसका आकलन हर बार नई यूनिटें जारी करते समय किया जाएगा और उसी समय तब भी किया जाएगा जिस समय यूनिटों के प्रतिशत में बदलाव आ जाए, यानि कि इस उप-विनियम के अनुसार कम से कम जितनी प्रतिशत यूनिटें होनी चाहिए उनके प्रतिशत में बदलाव आते ही इसका आकलन किया जाएगा:

परंतु यह और कि जो अवसंरचना निवेश न्यास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के लागू होने की तारीख तक आरंभिक प्रस्ताव (इनीशियल ऑफर) लाकर यूनिटें जारी कर चुके हों, उनके मामले में इस विनियम के उप-विनियम (3) और उप-विनियम (3क) में दिए हुए प्रावधान

केवल उस तारीख के बाद अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा और जारी की जाने वाली यूनिटों के संबंध में ही लागू होंगे, और जो यूनिटें आरंभिक प्रस्ताव लाए जाने के समय ही लॉक-इन हों, वे उस आरंभिक प्रस्ताव के तहत जारी की गई यूनिटों के सूचीबद्ध होने की तारीख से तीन वर्ष पूरे होने तक लॉक-इन रहेंगी।"

- vi. उप-विनियम (4) हट जाएगा।
- vii. उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
  - "(5) उप-विनियम (3) और उप-विनियम (3क) के अनुसार जितनी यूनिटें होनी जरूरी हैं, उन्हें लॉक-इन रखा जाएगा और उन पर ऋण नहीं लिया जाएगा:

ऊपर दी हुई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के लागू होने की तारीख से पहले कम से कम जितनी यूनिटें रखनी जरूरी होती थीं और यदि उन पर ऋण लिया गया हो और जो अभी चुकाया न गया हो, तो उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।"

### V. विनियम 22 में,-

- i. उप-विनियम (4) में, खंड (चक) हट जाएगा;
- ii. उप-विनियम (7) में. -
  - क) शब्दों "नियंत्रण में परिवर्तन" के बाद और शब्दों "के मामले" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने" जोड़े जाएँगे;
  - ख) खंड (ख) में, उप-खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-"(iii) स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने पर, निवेश प्रबंधक असहमति प्रकट करने वाले यूनिटधारकों को उनकी यूनिटें खरीदकर निकास (एग्ज़िट) का विकल्प उसी प्रकार प्रदान करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।"
- iii. उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
  - "(8) प्रायोजक न बने रहने का प्रस्ताव रखने वाला (वाले) जो मौजूदा प्रायोजक निवेश प्रबंधक को स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनाना चाहता हो (चाहते हों), उन्हें नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा:
    - (i) अवसंरचना निवेश न्यास को सूचीबद्ध (लिस्ट) हुए कम से कम पाँच वर्ष हो चुके हों;
    - (ii) अवसंरचना निवेश न्यास ने लगातार कम से कम बारह बार मुनाफों की रकम बाँटी हो और पिछले पाँच वर्षों के दौरान मुनाफों की रकम बाँटने से संबंधित उन प्रावधानों का पालन किया हो, जिनका जिक्र इन विनियमों में किया गया है;
    - (iii) जिस समय प्रायोजक प्रायोजक न रहे उससे ठीक पहले लगातार पाँच वर्षों की अवधि तक अवसंरचना निवेश न्यास को किसी रजिस्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से 'एएए' की रेटिंग मिली हो;
    - (iv) पिछले पाँच वर्षों की अविध के दौरान, अवसंरचना निवेश न्यास ने इन विनियमों में लीवरेज हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सीमाओं का कभी भी उल्लंघन न किया हो;
    - (v) इन विनियमों में प्रायोजक के लिए शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के जो मानदंड तय किए गए हैं, उन्हें निवेश प्रबंधक पूरा कर रहा है;
    - (vi) प्रायोजक (प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों) के पास कम से कम कितनी यूनिटें होनी चाहिए उससे जुड़े प्रावधानों का पालन, निवेश प्रबंधक के स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने की तारीख से, निवेश प्रबंधक, निवेश प्रबंधक के शेयरधारकों और/या निवेश प्रबंधक की समूह (ग्रुप) एंटिटियों को करना होगा:

- स्पष्टीकरण: निवेश प्रबंधक, निवेश प्रबंधक के शेयरधारक और/या निवेश प्रबंधक की समूह (ग्रुप) एंटिटियाँ, ऊपर दी हुई शर्त का पालन करने के उद्देश्य से, अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें लें सकते हैं।
- (vii) प्रायोजक (प्रायोजकों) या उसके सहयोगी (सहयोगियों) का, निवेश प्रबंधक के स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने की तारीख से, अवसंरचना निवेश न्यास के निवेश प्रबंधक पर मालिकाना हक या नियंत्रण न रहे;
- (viii) प्रायोजक ने पिछले तीन वर्षों में संपत्तियाँ आदि (आस्तियाँ / असेट) अवसंरचना निवेश न्यास के नाम पर न की हों या उन्हें बेची न हों, और, स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने की तारीख से एक वर्ष की अविध तक अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा उस प्रायोजक (उन प्रायोजकों) से कोई भी संपत्ति आदि ली / प्रोजेक्ट लिया नहीं जाएगा, जो प्रायोजक नहीं रहा (रहे);
- (ix) प्रायोजक न बने रहने का प्रस्ताव रखने वाले प्रायोजक (प्रायोजकों) में से कम से कम एक प्रायोजक कम से कम पाँच वर्षों तक अवसंरचना निवेश न्यास का प्रायोजक रह चुका हो;
- (x) अवसंरचना निवेश न्यास के पास प्रायोजक से ली हुई ऐसी कोई संपत्ति नहीं होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा हो और जिसमें कारोबार शुरू न हुआ हो;
- (xi) प्रायोजक या उसके (उनके) सहयोगी परियोजना प्रबंधक न हों और जिनका, निवेश प्रबंधक के स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने की तारीख से, परियोजना प्रबंधक पर मालिकाना हक या नियंत्रण न रहे;
- (xii) स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक बनने के संबंध में, इस विनियम के उप-विनियम (7) के अनुसार यूनिटधारकों से मंजूरी और न्यासी (ट्रस्टी) की सहमति ले ली गई हो;
- (xiii) ऐसी कोई अन्य शर्त, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए ।"
- VI. अनुसूची-I, पैरा-1 में, उप-पैरा (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों "उनके सहयुक्त (सहयोगी / असोसिएट)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) या प्रायोजक समूह" आ जाएँगे;
- VII. अनुसूची-III, पैरा-13 में, उप-पैरा (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों "उनके सहयुक्तों (सहयोगियों / असोसिएट्स) में से किसी सहयुक्त (सहयोगी / असोसिएट)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "उनके सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) में से किसी सहयोगी, प्रायोजक समूह (प्रायोजक समूहों)" आ जाएँगे;
- VIII. अनुसूची-IV में, भाग-क में, पैरा-17 में, शब्दों तथा चिह्नों "उनके सहयुक्तों (असोसिएट्स) में से किसी सहयुक्त" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "उनके सहयोगियों (सहयुक्त / असोसिएट) में से किसी सहयोगी, प्रायोजक समूह (समूहों)" आ जाएँगे;
  - IX. अनुसूची-VII के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी अर्थात्, -

## "अनुसूची-VIII: बड़े यूनिटधारकों हेतु सिद्धाँत (स्टूअर्डशिप कोड) [विनियम 4(2)(ज) देखें]

जिन यूनिटधारकों के पास अवसंरचना निवेश न्यास की कुल मौजूदा यूनिटों में से कम से कम दस प्रतिशत यूनिटें हो, उन्हें निम्नलिखित सिद्धाँतों का पालन करना होगा:

- 1. उन्हें हमेशा अवसंरचना निवेश न्यास और उसके यूनिटधारकों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा:
- 2. उन्हें बड़े यूनिटधारक के नाते अपनी सैद्धाँतिक जिम्मेदारियाँ निभाने के संबंध में एक व्यापक नीति बनानी होगी, और समय-समय पर उसकी समीक्षा करके उसमें जरूरी बदलाव करने होंगे;
- 3. इस बारे में भी एक नीति बनानी होगी कि यदि अपनी सैद्धाँतिक जिम्मेदारियाँ निभाते समय उनके सामने कोई हित-विरोध का मुद्दा आया तो वे उससे कैसे निपटेंगे;

- 4. उन्हें समय-समय पर अवसंरचना निवेश न्यास पर और उन एंटिटियों पर नज़र रखनी होगी, जिन एंटिटियों में अवसंरचना निवेश न्यास ने निवेश किया हो, जैसे कि नियंत्री कंपनी (कंपनियाँ) [होल्डको] और एसपीवी;
- 5. उन्हें इस संबंध में भी एक नीति बनानी होगी कि वे अवसंरचना निवेश न्यास और उसकी नियंत्री कंपनी (कंपनियों) [होल्डको] तथा एसपीवी के कामकाज में जरूरत पड़ने पर कब-कब हस्तक्षेप कर सकते हैं;
- 6. उन्हें मतदान के संबंध में एक नीति बनानी होगी।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन III/4/असा./362/2023-24]

#### पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-
  - क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा
  - ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा
  - ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा
  - घ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा
  - ङ. 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा
  - च. 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
  - छ. 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा
  - ज. 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा
  - झ. 31 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
  - ञ. 4 मई, 2022 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83, द्वारा
  - ट. 1 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101, द्वारा
  - ठ. 14 फरवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023-122, द्वारा
  - ड. 4 जुलाई, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th August, 2023

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/145.**—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014,
  - I. in regulation 2, sub-regulation (1),
    - i. the existing clause (sa) shall be renumbered as clause (sb) and the existing clause (sb) as clause (sc):
    - ii. after clause (s), the following clause shall be inserted, namely,-
      - "(sa) "group entities of the Investment Manager" means:
        - (i) entities or person(s) which are controlled by the Investment Manager;
        - (ii) entities or person(s) who control the Investment Manager;
        - (iii) entities or person(s) which are controlled by entities or person(s) specified in sub-clause (ii)."
    - iii. in clause (saa), in sub-clause (ii), after the word "associate" and before the symbol ";", the words "or a member of the sponsor group of the InvIT" shall be inserted;
    - iv. in clause (zk), the words and symbols "sponsor(s)" shall be substituted by the words "sponsor groups";
    - v. the existing clause (zxa) shall be renumbered as clause (zxb);
    - vi. after clause (zx), the following clause shall be inserted, namely,-
      - "(zxa) "Self-Sponsored Investment Manager" means the Investment Manager of an InvIT who has dual responsibilities of both the Investment Manager as well as the sponsor;"
    - vii. after clause (zxb), the following clause shall be inserted, namely,-
      - "(zxc) "sponsor group" includes-
        - (i) the sponsor(s);
        - (ii) entities or person(s) which are controlled by such sponsor;
        - (iii) entities or person(s) who control such body corporate;
        - (iv) entities or person(s) which are controlled by entities or person(s) specified in clause (iii)."
  - II. in regulation 4, in sub-regulation (2),
    - i. in clause (d), in sub-clause (i), after the words "each sponsor" and before the words "shall be", the words "and sponsor group" shall be inserted;
    - ii. in clause (d), after sub-clause (i), the following provisos shall be inserted namely, -
      - "Provided that, for each sponsor group not less than one person shall be identified as a sponsor:

Provided further that of the entities categorized as sponsor group, only the following entities may be considered:

- a) a person or entity who is directly or indirectly holding an interest or shareholding in any of the assets or SPVs or holdco(s) proposed to be transferred to the InvIT;
- a person or entity who is directly or indirectly holding units of the InvIT on postissue basis;
- c) a person or entity whose experience is being utilized by the sponsor for meeting with the eligibility conditions required under sub-clause (iii) of clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 4 of these regulations."

#### iii. in clause (h), -

- a. the symbol ";" after the word "units" in the non-obstante clause shall be replaced with the symbol ":";
- b. the following provisos shall be inserted after the existing non-obstante clause, namely, -

"Provided that unitholder(s) holding not less than ten percent of the total outstanding units of the InvIT, either individually or collectively, shall be entitled to nominate one director on the board of directors of the Investment Manager, in the manner as may be specified by the Board:

Provided further that the director so nominated shall recuse from voting on any transaction where such nominee director or associate of such nominee director or the unitholder who nominated such nominee director or associate of such unitholder is a party:

Provided further that any unitholder holding not less than ten percent of the total outstanding units of the InvIT shall comply with stewardship code specified in Schedule VIII of these regulations."

- III. regulation 7A shall be omitted.
- IV. in regulation 12,
  - i. in the heading, after the words and symbols "sponsor(s)", the words and symbols "and sponsor group(s)" shall be inserted;
  - ii. in sub-regulation (1), after the words and symbols "sponsor(s)", the words and symbols "and sponsor group(s)" shall be inserted;
  - iii. in sub-regulation (2), after the words and symbols "sponsor(s)", wherever appearing, the words and symbols "and sponsor group(s)" shall be inserted;
  - iv. the existing sub-regulation (3), clauses (i)-(iii) thereunder and the first proviso to clause (iii) shall be substituted by the following, namely, -
    - "(3) The sponsor(s) and sponsor group(s) shall, at all times, collectively hold not less than fifteen percent of the total outstanding units of the InvIT, for three years from the date of listing of units in the initial offer, subject to the following:
      - sponsor(s) and sponsor group(s) would be responsible for all acts, omissions, representations and covenants of the InvIT related to the formation of InvIT or sale or transfer of assets/holdco/SPV to the InvIT;
      - b) the InvIT or the trustee of the InvIT shall also have recourse against the sponsor(s) and sponsor group(s) for any breach in this regard;
      - c) project manager of the InvIT shall be the sponsor or an associate of the sponsor and shall continue to act in such capacity for a period of minimum three years from the date of listing of InvIT units unless suitable replacement is appointed by the unitholders through the Trustee:

Provided that the condition as specified in clause (c) of this sub-regulation shall not be applicable where the sponsor(s) and sponsor group(s) together hold not less than twenty-five percent of the total outstanding units of the InvIT after initial offer of units, at all times, during a period of first 3 years from the date of the listing of units issued in initial offer:

Provided further that any holding by sponsor and sponsor group exceeding the fifteen percent or twenty-five percent, as the case may be, shall be held for a period of not less than one year from the date of listing of units issued in initial offer:"

after sub-regulation (3), the following sub-regulation and the provisos shall be inserted namely, -

- "(3A) The sponsor(s) and sponsor group(s) shall collectively hold not less than -
  - (i) five percent of the total outstanding units of the InvIT, from the beginning of fourth year and till the end of fifth year from the date of listing of the units issued in the initial offer;
  - (ii) three percent of the total outstanding units of the InvIT, from the beginning of sixth year and till the end of tenth year from the date of listing of the units issued in the initial offer;
- (iii)two percent of the total outstanding units of the InvIT, from the beginning of eleventh year and till the end of twentieth year from the date of listing of the units issued in the initial offer;
- (iv)one percent of the total outstanding units of the InvIT, after the completion of the twentieth year from the date of listing of units issued in the initial offer:

Provided that the maximum value of units to be held by sponsor(s) and sponsor group(s) for compliance with clauses (i) to (iv) shall not exceed five hundred crore rupees or such other value as may be decided by the Board from time to time and such valuation shall be based on the latest available net asset value of the InvIT:

Provided further that an assessment of compliance of requirements under clauses (i) to (iv) of this sub-regulation shall be done at the time of each fresh issuance of units and at the beginning of change in threshold of the percentage for minimum unitholding requirement as specified in this sub-regulation:

Provided further that for InvITs that have already issued units pursuant to an initial offer as on the date of coming into effect of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023, the provisions contained in subregulation (3) and (3A) of this regulation shall be applicable only for the additional units issued by the InvIT after such date and the units that are locked in at the time of initial offer shall continue to be locked in till the completion of three years from the date of listing of units in such initial offer."

- v. sub-regulation 4 shall be omitted.
- vi. after sub-regulation 4, the following sub-regulation shall be inserted namely, -
  - "(5) The units required to be held in terms of sub-regulation (3) and (3A) shall be locked in and shall not be encumbered:

Notwithstanding the above, any encumbrance created on units held to comply with the minimum unit holding requirement applicable before the date of coming into effect of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023, may continue if the encumbrance exist on such date."

- V. in regulation 22,
  - i. in sub-regulation (4), clause (fa) shall be omitted;
  - ii. in sub-regulation (7), -
    - a) after the words "inducted sponsor" and before the symbols ",-", the words "or conversion to Self-Sponsored Investment Manager" shall be inserted;
    - b) in clause (b), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -
      - "(iii) in case of conversion to Self-Sponsored Investment Manager, the Investment Manager shall provide the dissenting unit holders an option to exit by buying their units in the manner specified by the Board;"
  - iii. after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted namely, -
    - "(8) The existing sponsor(s) proposing to disassociate as sponsor(s) by seeking to convert the Investment Manager to Self-Sponsored Investment Manager shall comply with the following conditions:
    - (i) the InvIT has been listed for a period of at least five years;

- (ii) the InvIT has undertaken not less than twelve distributions on a continuous basis and has complied with the distribution norms as per these Regulations in the preceding five years;
- (iii) the InvIT is rated AAA by a registered credit rating agency for a continuous period of five years immediately preceding the exit of the sponsor;
- (iv) during the period of preceding five years, the InvIT has not breached, at any time, the maximum leverage thresholds specified in these regulations;
- (v) the Investment Manager is meeting the net worth criteria specified for the sponsor in these regulations;
- (vi) the minimum unitholding requirement applicable to sponsor(s) and sponsor group(s) shall be complied with, on or after the date of conversion of the Investment Manager to Self-Sponsored Investment Manager, by the Investment Manager, shareholders of the Investment Manager and/or group entities of Investment Manager;
  - Explanation: Investment Manager, shareholders of the Investment Manager and/or group entities of Investment Manager may acquire units of the InvIT for the purpose of compliance of above condition.
- (vii) the sponsor(s) or its associate(s) do not own or control the Investment Manager of the InvIT on or after the date of conversion of the Investment Manager to Self-Sponsored Investment Manager;
- (viii) the sponsor has not transferred / sold assets to the InvIT in the last three years and no assets/ projects shall be acquired by the InvIT from the outgoing sponsor(s) for a period of one year from the date of conversion to Self-Sponsored Investment Manager;
- (ix) at least one of the sponsor(s) proposing to disassociate should have been a sponsor of the InvIT for a minimum period of five years;
- the InvIT shall not have any under-construction assets acquired from the sponsor that have not commenced commercial operations;
- (xi) the sponsor(s) or its associate(s) are not the Project Manager and do not own or control the Project Manager on or after the date of conversion of the Investment Manager to Self-Sponsored Investment Manager;
- (xii) unitholders approval in terms of sub-regulation (7) of this regulation and consent of the Trustee has been obtained for conversion to Self-Sponsored Investment Manager;
- (xiii) such other conditions as may be specified by the Board."
- VI. in Schedule I, paragraph 1, in sub-paragraph (c), after the words "their associates", and before the words "or trustee", the words and symbols "or sponsor group(s)" shall be inserted;
- VII. in Schedule III, paragraph 13, in sub-paragraph (c) after the words "associates" and before the words "and the trustee", the words and symbols ", sponsor group(s)" shall be inserted;
- VIII. in Schedule IV, in Part-A, in paragraph 17, after the words "associates" and before the words "and the Trustee", the words and symbols ", sponsor group(s)" shall be inserted;
  - IX. after Schedule VII, the following Schedule shall be inserted namely, -

## "Schedule VIII: STEWARDSHIP CODE

#### [See Regulation 4(2)(h)]

The following principles of stewardship code shall be complied with by any unitholder holding not less than ten percent of the total outstanding units of the InvIT:

- 1. They must act in the best interests of the InvIT and its unitholders as a whole;
- 2. They should formulate a comprehensive policy on the discharge of their stewardship responsibilities and review and update the same periodically;
- 3. They should have a policy to manage issues of conflict of interest while fulfilling their stewardship responsibilities;
- 4. They should periodically monitor the InvIT and its investee entities viz. HoldCo(s) and SPV(s);

- 5. They should have a policy on intervention in the InvIT and its HoldCo(s) and SPV(s);
- 6. They should have a policy on voting."

BABITHA RAYUDU, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./362/2023-24]

#### **Footnotes:**

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the
  - a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.
  - b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
  - c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.
  - d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.
  - e. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.
  - f. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.
  - g. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.
  - h. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.
  - Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 31, 2021.
  - j. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83, with effect from May 4, 2022.
  - k. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/101 with effect from January 1, 2023.
  - 1. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/122 with effect from February 14, 2023.
  - m. Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment)
    Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137 with effect from July 4, 2023.